रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2004/चैत्र 11, 1926
No. 333] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2004/CHAITRA 11, 1926

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2004

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603(अ)

का.आ. 437(अ).—यत: अरूणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत इस मंत्रालय की ऊपर संदर्भित अधिसूचना के तहत दिनांक 17-9-1991 से इसलिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में, उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में आ गये थे कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक हो गया था, और

2. यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिए गए एक बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत ''अशांत क्षेत्र'' घोषित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की दिनांक 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी।

3. स्थिति की पिछली बार सितम्बर, 2003 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 30 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1149(अ) के तहत तिरप एवं चांगलांग की ''अशांत क्षेत्र'' के रूप में घोषणा की अवधि को दिनांक 31-3-2004 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तिरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की पुन: समीक्षा की गई है। अरूणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में विद्रोह की स्थिति यथावत् बनी हुई है। विद्रोही संगठन सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों का सहारा लेने के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर जबरन धन-वसूली में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे विद्रोह विरोधी अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से स्थिति में मामूली सुधार दिखायी दिया है। केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल जारी रखने की बल्कि इनमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है।

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, केन्द्र सरकार की यह राय है कि तिरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना 30 सितम्बर, 2004 तक लागू रहेगी बशर्ते कि इसे पहले वापस न लिया जाए।

[फा.सं.13/27/99-एम.जेड.]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव (एन.ई.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2004

Ref. : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991

S.O. 437(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;

3. The situation was last reviewed in September, 2003 and vide Notification bearing S.O. 1149(E) dated 30th September, 2003, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' up to 31-3-2004. A further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency. The insurgent outfits have been indulging in large-scale extortion besides resorting to acts of violence directed against the security forces. The sustained counter-insurgency operation by the Security Forces and steps taken by the State Government has shown some signs of improvement. The Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified.

4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exists for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30th September, 2004 unless withdrawn earlier.

[F.No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy. (NE)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.